



पार्श्व 2 (नियम 11(4) देखिए)

सर्वोच्च नियमित स्कूल क्रमांक 130410/ 4209

विभागीय दिनांक 17/03/2022 नियमितीय वालीयता + अधिकारी

स्कूल LITTLE FLOWER SCHOOL
GAIRATGANJ

विभागीय वालीयता + अधिकारी

प्राप्ति-दिनांक 02/04/2022

Signature valid

Digitally signed by
Date: 02/04/2022 09:14:19 +05
Recipient:  daisy kaushik

तिथि - 2022-23

प्राप्ति

प्रबंधक (LITTLE FLOWER SCHOOL GAIRATGANJ)

नियम शुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 के धारा 18 के प्रतीक्षा के दिन 02/04/2022 और अधिकारी वाल शिक्षा का अधिकारी नियम, 2010 के नियम 11 (4) के अन्तर्गत स्कूल मान्यता प्राप्त है।

ग्रहणक / महोदया,

आपको आवेदन पत्र दिनांक 11/02/2022 तथा इस संवय में स्कूल से प्राप्त किया गया नियमित वालीयता + अधिकारी स्कूल - LITTLE FLOWER SCHOOL GAIRATGANJ द्वारा क्रमांक 23340305112 नियम क्रमांक PS 4209 के धारा 27 प्राप्तिशीलता से आठवीं तात्प के दिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक वालीयता के लिए मान्यता प्राप्त है तथा इसके अन्तर्गत वालीयता की पूर्ति के अधिकारी हैं।

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कदम 8 से आठवीं वालीयता/वालीकरण की कोई वालीयता की रूप में विवरित नहीं होगी।
- स्कूल शिशिलक और आवेदनकारी वाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 (उपवारा 1) तथा नियम शुल्क और अनिवार्य वाल नियम (उपवारा 2) के उपर्योग का प्राप्तन करेगा।
- स्कूल, आपको पढ़ायी की रूपीया के विवित सम्बूद्ध तथा कमज़ोर वाली की वालीयता को कहा। ऐसे स्वतंत्रतम् 25 प्राप्तिशील प्राप्तन द्वारा जैव दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रोत्तिशील वालीयता को उस अनुपात में नियम शुल्क और अनिवार्य प्राप्तिशील विकास द्वा जिस रूप में उसके वालीयता आवलीं व्यय को पूरा करने देता है। इस प्रकार वालीयता आवलीं मान्यता या अनुसार प्राप्त होता है विन्यु या अन्यतंत्रम् पक्षीयी प्रतिशील के अधीन होगा व्यवहार कि जहां स्कूल पूर्ण स्कूल (पी.स्कूल) योग्या हो जाता है वहां साधारण नियम 12 के उपर्योग (1) के छठ (क) से (ग) के उपर्योग पी-स्कूल में प्रयोग के दिए जायें होंगे।
- परा 3 में विस्तारित वालीयता के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार यह को प्राप्तिशील की वालीयता की अवधि प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता अवलम्बन करना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल बोर्ड भी नीप्रेटेशन ग्रीष्म के संबंध नहीं करेगा तथा वालक या उसके पालक या अधिकारी के द्वारा उपर्योग प्रयोग का नहीं अपनाएगा।
- स्कूल नियमी भी वालक को प्रोत्ति देने से इनाम नहीं करेगा -
 - o (क) आयु के सबूत को जाहाज में,
 - o (ख) बटि प्रवेश के लिए विस्तृत की गई विस्तारित कालावधी के प्रत्ययात ऐसा प्रोत्ति याहु नहीं है,
 - o (ग) धर्म, जाति वा भूलिंग, अव्यासगत या दुष्प्रीयी भी कियी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 - o किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक नियमी भी वालक को किसी कक्षा में रोका या विस्थापित नहीं होता।
 - o किसी वालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रतापित नहीं किया जाएगा।
 - o प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक वालक को कोई बाहे पर्याप्त उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होती।
 - o नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले पर्याप्त वालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
 - o अधिनियम के उपर्योग के अनुसार नियमित विशेषज्ञ वालीयता वालीयता को समाप्ति किया जाएगा।
 - o अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन नियमित व्युत्पाद योग्यता अनुसार विकास कि अपी के वालक वालीयता को कमेश्वर जी विकास इस अधिनियम के प्राप्त दोनों पर व्युत्पाद वालीयता नहीं रखते हैं। अह अधिनियम के प्राप्त वालक वालीयता के अन्तर्गत 5 वर्ष कि अवधि में नियमित व्युत्पाद वालीयता आवेदन प्राप्त करनी होती।
 - o विकास को अधिकारीयम कि धारा 24(1) के अधीन नियमित वालीयता का प्राप्तन करना होगा।
 - o प्राप्तवेत दीर्घिय 14: वालीयता वालीयता में विकास वाले वालीयता
- स्कूल सम्मिलित प्राप्तिशील द्वारा विस्तारित पाठ्यकार्यों का अनुसरण करता।
- अधिनियम कि धारा 19 में विस्तृत लिए अनुसार स्कूल में वालक सुविधा के अनुसार में स्कूल में वालीयता की वालीयता नहीं होती।
- स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विस्तृत स्कूल के वालक एवं अपारद्ध व्यवहार एवं जालीं। अतिक्रमितवाली के अन्तर्गत वालीयता वालीयता का दावा करें।